



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई

विद्युत भवन, भू-तल,
33/11 केवी० उपकेन्द्र
जालौन चुंगी के पास
जालौन रोड, सुशील नगर,

पत्रांक 10/66/वि०वि०ख०-द्वितीय उरई/निजी नलकूप/लघुसिचाई ऑनलाईन
विषय- निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु। Recp no: 1008366587 Date: 07.01.2024

दिनांक 30/01/24

श्री जवाहरलाल पुत्र श्री रामचरण ग्राम-अमखेडा

मो० नं०	7897072904
विधा	एल०एम०बी-5
नलकूप संयोजन 10 एच०पी०	

महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2024 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए 10 अ०श० (HP) तथा पंखा बत्ती के लिये सिरिज में 120 वा० की स्वीकृति को प्रदान की गयी है।

क.	चार्जज:	=	2,036.00
ख.	चार्जज:	=	0.00
ग.	धनराशि:	=	3,000.00
घ.	मीटर धनराशि:	=	2,921.00
ङ.	लाइन ऑफ कॉस्ट:	2,37,518.00 (-)	68000.00
च.	डाक चार्ज	=	0.00
शुद्ध देय धनराशि- रू०-			1,77,475.00

1 मीटर निरीक्षण शुल्क कोशासकीय कोष में 0043 विद्युत पर कर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के अन्तर्गत रूपया 1200.00 जमा करना होगा।

2 आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं भण्डार केन्द्र उरई से अपने वाहन द्वारा सामान ढुलाई करनी होगी।

3 आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु ईट, बालू, सीमेन्ट का प्रबन्ध करना पड़ता है। अतः उसी में उपर्युक्त वस्तुओं की आवश्यकता मात्र अपनी लाइन/कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

4 कनेक्शन हेतु लाइन व उपकेन्द्र बनाने में जो मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, उसका प्रबन्ध आपको ही करना पड़ेगा।

5 साईट पर लाइन बनाते समय उत्पन्न व्यवधानों (ROW) के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

6 सीमेंट बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल अन्तिम खम्भे तथा ऐंगिल नट, पोल तथा उपकेन्द्र के लिये होगी, जिनकी मात्रा लिखित दर के अनुसार होगी:-

प्रति खम्भा..... सीमेन्ट 06 बोरी बालू 03 घन फीट, गिट्टी 06 घन फीट
प्रति उपकेन्द्र..... सीमेन्ट 06 बोरी बालू 03 घन फीट, गिट्टी 06 घन फीट

7 आपके कार्य करने के लिये..... मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हो तो आप किसी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में आकर एगीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1-नॉन जुडिशियल 100.00 रू० जनरल स्टाम्प तथा 100.00 रसीदी टिकट।

2- ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूपये की रसीद की छायाप्रति।

3- एक फोटो प्रमाणित।

4- निवास प्रमाण पत्र।

8. संयोजन अनुबंध के समय संयोजन से सम्बन्धित सभी प्रपत्र सही नाम पता सहित मूल प्रपत्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। सही प्रपत्र उपलब्ध न कर पाने की स्थिति में अनुबंध निरस्त माना जायेगा। (प्रपत्र-ख खसरा, खतौनी, बोरिंग प्रमाण पत्र, 10रू के स्टाम्प पर नोटरी ऐफीडेविड फोटो सहित यदि सहखातेदार है, तो अलग-2 स्टाम्प पर सहमति पत्र फोटो सहित, 61 ख, पहचान पत्र की फोटो एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी, कोठी के सामने आवेदक की फोटो, मोटर की रसीद (जी०एस०टी०), 10 रू० का स्टाम्प पर्यावरण (वृक्षारोपण)नोटरी सहित)

आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी। बी०एल० फार्म व मीटर डिकलेशन फार्म (मीटर सूधारने के लिये ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता के पास जमा कर दें। तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्तों के साथ टी०सी० की धनराशि 90 दिनों तक जमा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और प्रकमण शुल्क रू० 100.00 भी जब्त हो जायेगी। और टी०सी० निरस्त कर दी जायेगी।

9 क्षेत्र में पड़ने वाले सड़क के बीचो बीच से सिलिंग रोड के लिए 6 मी० डबल रोड में 7.5 मीटर दूर लाइन को बनाना सुनिश्चित करें यदि इससे अन्दर बनाते हैं तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे।

10 जिस भी उपभोक्ता के नाम निजी नलकूप का संयोजन है अगर उनकी मृत्यू हो जाती है तो 15 दिन के अन्दर उनके परिजन संयोजन का नाम परिवर्तन करवाले अन्यथा की स्थिति में संयोजन अवैध माना जायेगा।

11 परिवर्तक से नलकूप के परिसर तक एल०टी० केविल आरमर्ड की होनी चाहिए।

पत्रांक/वि०वि०ख०-द्वितीय उरई/निजी नलकूप/लघु सिचाई ऑनलाईन
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उरई।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, जालौन।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय उरई।
4. अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई।

'केबिल उपभोक्ता द्वारा स्वयं देय होगी।'

अधिशासी अभियन्ता
वि०वि०ख० द्वि० उरई

o/c

अधिशासी अभियन्ता
वि०वि०ख० द्वि० उरई

o/c